तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/9/19	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 21.10.19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	
21.10.19	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली पे बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल का बहस मे कथन है कि विवादित आराजी सायलान व गैर सायलान के संयुक्त खातेदारी की है। इसलिये गैर सायलान को भूमि मे निर्माण नही करने एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने को गैर सायलान के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील गैर सायलान का बहस मे कथन है कि विवादित भूमि का बटवारा वाद उक्त पक्ष की कोर्ट मे विचाराधीन है। इसलिये विवादित आराजीयात की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने को उभय पक्ष के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। बहस वकील फरीकेन श्रवण किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिससे विवादित भूमि सायलान व गैर सायलान के संयुक्त खातेदारी के दर्ज होना अंकित है। पक्षकारान के हक हकूक मूल वाद के अन्तिम निर्णय पर तय होने है तब तक विवादित आराजीयात की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने मे सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति उभय पक्षकारान के हक मे है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात 1458, 1470, 1471, 1456, 1666, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 कुल किता 15 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा करौली पंचायत हल्का नं 8 तहसील करौली के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे पत्रावली के स्वरूप शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ सेलान रहे। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Scanned by CamScanner